अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उपनिरीक्षक / अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार "मौजा कुरमाटिल्हा जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि मौजा कुरमाटिल्हा खाता -20 प्लॉट - 1/1 रकबा 0.45 ए० पर श्रीमती अरुणा देवी w/o दामोदर साव के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदा० के बंदोबस्ती वाद सं - 87/02-03 के आदेश दिनांक 11/07/03 को मौजा - कुरमाटिल्हा थाना नं० - 361 के अंतर्गत उक्त खाता-20 प्लॉट-1/1 रकबा-0.45 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्रीमती अरुणा देवी w/o दामोदर साव के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा-कुरमाटिल्हा के पंजी -126/1 पर दर्ज होकर वर्ष 2008-09 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है। उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद / अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।"

अतः राजस्व उपनिरीक्षक / अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

ह०
06/12/2024
अंचल अधिकारी
मनातू।

ह०
06/12/2024
अंचल अधिकारी
मनातू।

सेवा में,

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू।

विषय :- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं० 161/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा-कर्मा तिलहा जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं० 20, प्लॉट सं० 1/1 रकबा 0.45 पर श्रीमती अरूणा देवी w/o श्री दामोदर साव के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। इनके द्वारा जाँच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी के बंदो० वाद सं० 87/02-03 के अन्तर्गत दिनांक- 11-07-03 को मौजा - कर्मा तिलहा, थाना नं० 361 के अन्तर्गत उक्त खाता नं० 20, प्लॉट- 1/1 रकबा- 0.45ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत श्रीमती अरूणा देवी w/o श्री दामोदर साव के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी, मौजा- कर्मा तिलहा के पेज नं० 126/2 पर दर्ज होकर वर्ष - 2008-09 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
अनिल कु० रजक
रा० उ० नि०
हल्का-III

[signature] 05/12/24
ASI + CI

[signature]
अं. अधि. मनातू
6/12/2024

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2024.12.09 14:18:43 +05:30
Location: 192.168.230.97